न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 12/19 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2019/00018

उनवान

1. भूदेव पुत्र श्री वासुदेव जाति ठाकुर निवासी ग्राम इकरन तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजवीर
2. रोशन सिंह

} पुत्रगण वासुदेव जाति ठाकुर निवासी ग्राम इकरन तहसील व जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, भरतपुर दिनांक 05.02.2019 उनवानी भूदेव बनाम राजवीर मु0न0 101/17

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री रूपेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 31.08.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 05.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम इकरन तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। जिसके उभयपक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि प्रकरण में परिवार जनो के मध्य ही विवाद है और ऐसे प्रकरण में वाद बहुलता को बढने के रोकने के लिये तथा आराजी को खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिये आराजी को सुरक्षित रखने के लिये स्थगन कानूनी आवश्यक है। सभी सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा बनाया है। परन्तु अदालत तहत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। विभाजन के वाद में स्थगन आवश्यक है। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को धमकी दी है कि अब वह विवादित आराजी जबरन आराजी पर कब्जा करेंगें व अपीलाण्ट को बेदखल करेंगें तथा दीगर जगह खुर्द–बुर्द करेंगें। यदि रैस्पो0 अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट को अजीम क्षति होगी। जिसकी पूर्ति जरिये नकद से अपीलाण्ट को करा पाना संभव नहीं होगा। पक्षकार नहीं बनाये जाने पर अपील खारिज नहीं की जा सकती ऐसा कोई कानून नहीं बना है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व में ही मनवट के आधार पर विभाजन हो रहा है एवं मनवट के आधार पर विवादित आराजी पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। ऐसी सूरत में किसी प्रकार की धमकी दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 4 को गलत पक्षकार मुकदमा बनाया गया है एवं अपील मीमो में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र नोन जोईन्डर ऑफ पार्टी से भी ग्रसित है। अप्रार्थी का खसरा नम्बर 616 के अलावा अन्य आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने प्रथम तो खसरा नम्बर 616 रकवा 34 एयर को मिलाकर विभाजन का अनुतोष चाहा है। जबकि उक्त खसरा नम्बर सम्पूर्ण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 के पिता/पति द्वारा अपने जीवनकाल में ही सोनदेई को विक्रय कर दिया। इसके अलावा हस्तगत अपील में सोनदेई को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। जबकि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा थी। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज से ग्रसित है एवं प्रार्थी/अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। द्वितीय प्रार्थी एवं अप्रार्थी विवादित आराजी में सहखातेदार काश्तकार हैं एवं प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस तर्क से सहमत हैं कि एक सह–खातेदार, दूसरे सह–काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

अप्रार्थी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में विवादित आराजी को मनवट के आधार पर काबिज होकर काश्त करना अंकित किया है। परन्तु प्रार्थी/अपीलाण्ट ने उनके इस तर्क के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं ना ही उनके उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय में नकारा है। जिससे अप्रार्थी/रैस्पो0 के मनवट के आधार पर काश्त करने के तथ्य को बल मिलता है। उपरोक्त विवेचानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। प्रार्थी अपीलाण्ट चाहे तो खसरा नम्बर 616 को हटाते हुये पुनः स्थगन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही करने को स्वतंत्र हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 05.02.2019 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 31.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

31.08.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर